

कार्यपालक अभियंता(यॉ0) का कार्यालय
सिंचाई यॉत्रिक प्रमंडल, पूर्णिया
Email-eemech.wrdpurniya@gmail.com

भाड़े पर वाहन लेने हेतु अल्पकालीन पुनर कोटेशन आमंत्रण
सूचना संख्या (NIQ)-03/2026-27

पत्रांक 571/

पूर्णिया

दिनांक 14/07/2026

सिंचाई यॉत्रिक प्रमंडल, पूर्णिया के अंतर्गत प्रमंडलाधीन योजनाओं के गहन अनुश्रवण एवं नहरो/वितरणियों/अवर प्रमंडलो/प्रशाखाओं के अंतर्गत नहर गेट/बाढ नियंत्रण गेट निरीक्षण एवं उच्चाधिकारियों की बैठकों में भाग लेने इत्यादि कार्यों हेतु भाड़े पर एक या एक से अधिक वाहन (बोलेरो/सुमो/स्कॉर्पियो/नन ए0सी0) के लिए निम्नांकित शर्तों के अधीन ईच्छुक वाहन मालिको/फर्म से अल्पकालीन पुनर कोटेशन आमंत्रित किया जाता है, जिसे मुहरबंद लिफाफे में दिनांक 29.07.2026 को 03.00 बजे अपराह्न तक सिंचाई यॉत्रिक प्रमंडल, पूर्णिया कार्यालय में जमा किया जायेगा और उसी दिन 3.30 बजे अपराह्न में खोला जाएगा। कोटेशनदाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि कोटेशन खुलने के समय उपस्थित रहेंगे।

कार्य की विवरणी निम्न प्रकार है:-

क0 सं0	कार्यालय का नाम	वाहन की संख्या	अवधि	अभ्युक्ति
01	अवर प्रमंडल पदाधिकारी सिंचाई यॉत्रिक अवर प्रमंडल, कटिहार /पूर्णिया / बनमनखी /अररिया	01	एकरारनामा की तिथि से 31.03.2027	वाहन का किराया जिला समाहरणलय पूर्णिया का पत्रांक- 462, दिनांक-13.09.22 के दर से देय होगा।

Jay Kant
14/07/2026

कार्यपालक अभियंता (यॉ0)
सिंचाई यॉत्रिक प्रमंडल, पूर्णिया

M.NO- 8287142756
14/07/2026

14/07/2026

शर्तें निम्नवत् हैं:-

1. निविदादाताओं को वित्तीय दर निम्नांकित प्रपत्र में देना होगा।

क्र० सं०	वाहन का प्रकार	ईंधन रहित मासिक भाड़ा

- भाड़े पर वाहन विभागीय निदेशानुसार दिये गये अवधि तक के लिए लिया जायेगा। वाहन का व्यावसायिक निबंधन अनिवार्य है।
- वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैध ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन अच्छे हालत में होना चाहिए।
- वाहन का दैनिक रख-रखाव (चालक सहित) एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मत, तौलिया उपलब्ध कराना एवं इसकी साप्ताहिक सफाई आदि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक/फार्म द्वारा वहन किया जायेगा। चालक के वेतन का भुगतान, आवासान एवं भोजन आदि का व्यवस्था वाहन मालिक/फार्म द्वारा ही किया जायेगा।
- वाहन के भुगतान पर नियमानुसार सभी प्रकार के करों का भुगतान वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता को स्वयं करना होगा एवं अन्य शुल्क अदेयता की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी। विभाग द्वारा किसी प्रकार का कर का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- वाहन का कागजात टैक्स, बीमा आदि मोटरयान अधिनियम अनुसार अद्यतन होना चाहिए एवं वाहन का वैध निबंधन पत्र, बीमा रोडटैक्स एवं प्रदुषणप्रमाण पत्र वाहनपरिचालन के दौरान अद्यतन रखना होगा।
- वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेदारी वाहन मालिक/फर्म का होगा।
- वाहन के उपयोग के विरुद्ध किराया प्रतिदिन ईंधन रहित देय होगा।
- वाहन का ईंधन रहित (चालकसहित) प्रतिदिन का न्यूनतम दर के कोटेशन वाहनदाता के साथ एकरारनामा किया जायेगा और उन्हें वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जायेगा। सेवा संतोषजनक नहीं होने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नहीं रहने पर कभी भी बिना बताये एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है। आवश्यकता के अनुसार वाहन की संख्या घटायी या बढ़ायी जा सकती है।
- वाहन का माईलेज वास्तविक रूप से डाले गये डीजल अथवा 10 कि०मी० प्रति लिटर में से जो अधिक हो मान्य होगा।
- वाहन का उपयोग वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता निजि अथवा अन्य व्यवसायिक उपयोग में नहीं करेंगे।
- वाहन उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारियों के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के कार्यालय परिसर से बाहर नहीं जायेगा। वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक फर्म का दायित्व होगा कि वे तुरंत दूसरा वाहन उपलब्ध करायेगे अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उस दिन का भाड़े का भुगतान दोगुने दर से कटौती कर ली जायेगी।
- वाहन का किराया जिला जिला समाहरणलय पूर्णियाँ का पत्रांक-462, दिनांक-13.09.2022 के दर से प्रतिमाह अधिकतम एवं आपके द्वारा उद्धृत दर में से न्यूनतम दर स्वीकार्य होगा तथा भुगतान प्रत्येक माह के बाद विपत्र प्रस्तुत करने पर उपलब्ध आवंटन के विरुद्ध किया जायेगा। भाड़ा रूपये प्रतिमाह की दर से Fix उद्धृत करना होगा। सशर्त उद्धृत भाड़ा मान्य नहीं होगा। शपथ पत्र एवं वांछित कागजात नहीं रहने पर कोटेशन अमान्य कर दिया जायेगा।

इच्छुक वाहन मालिक/फर्म का उक्त क्रमांक 1 से 13 तक के शर्तों को स्वीकार करने से संबंधित अपना शपथ पत्र (नोटरी द्वारा निर्गत) एवं क्रमांक 5 से संबंधित कागजात की सत्यापित प्रति कोटेशन के साथ समर्पित करेंगे। एक से अधिक समान न्यूनतम दर के कोटेशन प्राप्त होने पर दिनांक 29.07.2026 को 4:00 बजे अपराहन में वैध कोटेशन वाहनदाता के बीच लौटरी के माध्यम से वाहनमालिक/फर्म का चयन किया जायेगा। स्थानीय (जिला अररिया / कटिहार/ पूर्णियाँ) कोटेशनधारी को प्राथमिकता दी जायेगी।

Jaykumar
14/07/2026
(ई० जयकान्त कुमार)

कार्यपालक अभियंता(याँ०)
सिंचाई यंत्रिक प्रमंडल, पूर्णियाँ

14/07/2026

14/07/26